



विद्यापरिषद की 15वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक 08, अगस्त 2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की 15वीं बैठक की कार्यवाही में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहें :-

- | | |
|--|---------------|
| 1. प्रो० एन०बी० सिंह, माननीय कुलपति | - अध्यक्ष। |
| 2. प्रो० राजीव मनोहर, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। | - सदस्य। |
| 3. प्रा० पवन अग्रवाल, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। | - सदस्य। |
| 4. प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकायाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी। | - सदस्य। |
| 5. प्रो० सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग। | - सदस्य। |
| 6. प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय। | - सदस्य। |
| 7. प्रो० एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय। | - सदस्य। |
| 8. प्रो० तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग। | - सदस्य। |
| 9. प्रो० फखरे आलम, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग। | - सदस्य। |
| 10. प्रो० सौबान सईद, आचार्य, उर्दू विभाग/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण। | - सदस्य। |
| 11. डॉ० प्रवीण कु० राय, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग। | - सदस्य। |
| 12. डॉ० तत्हीर फातमा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, सह-आचार्य, गृह विज्ञान विभाग। | - सदस्य। |
| 13. डॉ० जमाल शब्बीर रिजवी, सह-आचार्य, उर्दू विभाग। | - सदस्य। |
| 14. डॉ० मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग। | - सदस्य। |
| 15. डॉ० वसी अहमद आजम अंसारी, सहायक-आचार्य, उर्दू विभाग। | - सदस्य। |
| 16. डॉ० पूनम चौधरी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग। | - सदस्य। |
| 17. डॉ० भावना मिश्रा, कुलसचिव। | - सदस्य सचिव। |

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर विद्या परिषद् द्वारा बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

बिन्दु सं०-1 विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 की संलग्न कार्यवाही को यथावत सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं०-2 विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 की कृत कार्यवाही। (ATR)

परिषद् द्वारा विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 की कृत कार्यवाही को सम्पुष्ट करते हुए प्रक्रियाधीन प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत बी०टेक० एवं बी०बी०ए०/एम०बी०ए० पाठ्यक्रमों में Multiple Entry and Exit System के सापेक्ष पूर्ण प्रस्ताव तैयार करने हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त न होने पर परिषद् द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा सम्बंधित प्रस्ताव तैयार कर आगामी विद्यापरिषद् की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Amisha

2



बिन्दु सं०-3

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 03.04.2023 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के सापेक्ष विश्वविद्यालय स्तर पर ODL, Online पाठ्यक्रम/पेपर संचालित करने तथा ओ0डी0एल0 क्रेडिट स्वीकार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से परिषद् को संसूचित किया जाना।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 03.04.2023 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर ODL, Online पाठ्यक्रम/पेपर संचालित करने तथा ओ0डी0एल0 क्रेडिट स्वीकार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से परिषद् संसूचित हुई।

अग्रेतर परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ओ0डी0एल0 के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा ओ0डी0एल0 के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-4

राजभवन में माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक (जिनकी नियुक्ति पर Challenge/आपत्ति होने के कारण अनुशासनिक जांच प्रचलित है को छोड़कर) शेष को शोध पर्यवेक्षक का दायित्व दिये जाने पर विचार।

(परिषद् के सम्मुख सम्बंधित विचार बिन्दु पर चर्चा से पूर्व विद्यापरिषद् के सदस्य डॉ० प्रवीन कुमार राय तथा डॉ० जमाल शब्बीर रिज़वी सभाकक्ष से बाहर चले गये थे) कुलसचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17 जुलाई, 2023 को राजभवन में माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में आहूत बैठक में बिन्दु में उल्लिखित निर्देश दिये गये थे।

परिषद् द्वारा राजभवन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त नियमित शिक्षक (जिनकी नियुक्ति पर Challenge/आपत्ति होने के कारण अनुशासनिक जांच प्रचलित है को छोड़कर) शेष को शोध पर्यवेक्षक का दायित्व दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए Statutory Bodies के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूरी करने की स्थिति में शोध अभ्यर्थी आवंटित किए जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया –

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।
2. कुलसचिव।

बिन्दु सं०-5

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र सं०-226/सत्तर-2-2020 -18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020, यू0जी0सी0 रेगुलेशन- 2022 तथा विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 अध्यादेय 2023 के सापेक्ष विश्वविद्यालय के संविदा शिक्षक (जिनकी नियुक्ति पर Challenge/आपत्ति होने के कारण अनुशासनिक जांच प्रचलित है को छोड़कर) शेष को शोध पर्यवेक्षक का दायित्व दिये जाने पर विचार।

(परिषद् के सम्मुख सम्बंधित विचार बिन्दु पर चर्चा से पूर्व विद्यापरिषद् के सदस्य डॉ० प्रवीन कुमार राय तथा डॉ० जमाल शब्बीर रिज़वी सभाकक्ष से बाहर चले गये थे) कुलसचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17 जुलाई, 2023 को राजभवन में माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में आहूत बैठक में बिन्दु में उल्लिखित निर्देश दिये गये थे।

परिषद् द्वारा राजभवन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त संविदा शिक्षक

Amisha



(जिनकी नियुक्ति पर Challenge/आपत्ति होने के कारण अनुशासनिक जांच प्रचलित है को छोड़कर) शेष को शोध पर्यवेक्षक का दायित्व दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए Statutory Bodies के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूरी करने की स्थिति में शोध अभ्यर्थी आवंटित किए जाने हेतु निम्नतः समिति का गठन किया गया -

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक।

2. कुलसचिव।

बिन्दु सं०-6

विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों में से वाणिज्य विभाग के 03 शोधार्थियों के वाइवा-वोसी परीक्षा के निर्धारित परीक्षाफल से विद्या परिषद् को संसूचित करना तथा सम्बंधित तीनों शोधार्थियों का परीक्षाफल निर्गत किए जाने हेतु कार्यपरिषद् के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर विचार।

परिषद् द्वारा वाणिज्य विभाग के 03 शोधार्थियों की वाइवा-वोसी परीक्षा के परीक्षाफल निर्गत करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बंधित तीनों शोधार्थियों का परीक्षाफल आगामी कार्यपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेतर परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शोधार्थियों की वाइवा वोसी परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित होने के उपरान्त विभागाध्यक्ष, शोध पर्यवेक्षक एवं वाह्य विशय विशेषज्ञ के हस्ताक्षरोपरान्त शोध समन्वयक के स्तर से कुलसचिव को प्रेषित किया जाएगा तदोपरान्त शोधार्थी का परीक्षाफल कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा जारी किया जायेगा। जिससे विद्यापरिषद् को संसूचित किया जाएगा।

बिन्दु सं०-7

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के विभाग निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर विचार।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संकाय एवं विभागों के निर्धारण हेतु अधिष्ठाता-शैक्षणिक एवं कुलसचिव द्वारा संस्तुत की गयी तालिका पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि तालिका में अंकित विभाग एवं सम्बंधित विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों को स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर अलग-अलग अंकित करते हुए तालिका पुनः तैयार करने का निर्णय लिया गया।

अग्रेतर परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम अलग-अलग अंकित करने के उपरान्त समस्त पाठ्यक्रमों, विभागों के नामों में एकरूपता लाये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार समस्त विभागों एवं पाठ्यक्रमों (जो परिनियमावली में अंकित है एवं जो परिनियमावली में अंकित नहीं है) का नाम देवनागरी लिपि तथा अंग्रेजी भाषा में अंकित कर दिया जाए। जिससे भविष्य में रोस्टर आदि के निर्माण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाये। परिषद् द्वारा समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं विभागों के नामों को हिन्दी में अनुवाद किये जाने तथा हिन्दी वर्णमाला के क्रम में अंकित करते हुए आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत समिति गठित की गयी-

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक

- संयोजक।

2. प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

- सदस्य।

3. डॉ० तत्हीर फातमा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

- सदस्य।

4. प्रो० अमृतेश शुक्ला, बॉटनी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

- सदस्य।

5. कुलसचिव

- सदस्य।

उक्त गठित समिति को निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण कर आगामी कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

Amisha



बिन्दु सं०-८ भाषा संवर्धन केन्द्र के सम्बन्ध में पुनः सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु गठित समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार।

भाषा संवर्धन केन्द्र के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तावित बजट में Recurring and Non Recurring व्ययों को अलग-अलग अंकित करते हुए पूर्ण प्रस्ताव पुनः हिन्दी भाषा में तैयार कर आगामी विद्यापरिषद् की बैठक में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। अग्रेतर परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व में भाषा संवर्धन केन्द्र के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु गठित समिति में डॉ० प्रवीण कुमार राय को सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-०९ प्रो० चन्दना डे, समन्वयक, कुलगीत समिति के पत्र दिनांक 04.08.2023 पर विचार।

परिषद् द्वारा समन्वयक, कुलगीत समिति द्वारा विश्वविद्यालय का कुलगीत तैयार करने हेतु प्रस्तावित नामों पर चर्चा की गयी परन्तु प्रस्तावित नामों पर समस्त सदस्यों में सहमति न बनने के कारण पूर्व में कार्यपरिषद् के अनुमोदनानुसार किसी नामचीन व्यक्ति विशेष गीतकार का नाम प्रस्तावित करने हेतु प्रो० चन्दना डे को निर्देशित किया गया।

बिन्दु सं०-१० कला एवं मानविकी संकाय की संकायबोर्ड बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् द्वारा कला एवं मानविकी संकाय की संकायबोर्ड की बैठक दिनांक 07.08.2023 की कार्यवाही को यथावत अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-११ सामाजिक विज्ञान संकाय की संकायबोर्ड बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय की संकायबोर्ड की बैठक दिनांक 05.08.2023 की कार्यवाही को यथावत अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-१२ वाणिज्य संकाय की संकायबोर्ड बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की संकायबोर्ड की बैठक दिनांक 07.08.2023 की कार्यवाही को यथावत अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-१३ विज्ञान संकाय की संकायबोर्ड बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की संकायबोर्ड की बैठक दिनांक 05.08.2023 की कार्यवाही को यथावत अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-१४ पी०एच०डी० पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा 2022-23 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की सूची से परिषद् को संसूचित किया जाना।

पी०एच०डी० पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा 2022-23 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की सूची से परिषद् संसूचित हुई।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

Amisha

4



अन्य बिन्दु-1	विश्वविद्यालय के सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्य संकाय के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये के लिए परिषद् द्वारा पूर्व में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23.09.2021 के निर्णय "विश्वविद्यालय में जो अभ्यर्थी अन्तः विषय (Inter Disciplinary) के आधार पर किसी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन कर रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को दृष्टिगत रखते हुए अन्तः विषय (Inter Disciplinary) के विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।" के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रवेश समन्वयक को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
अन्य बिन्दु-2	बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से एल0एल0बी0 05 वर्षीय एवं एल0एल0बी0 03 वर्षीय पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त होने की सूचना से परिषद् सहर्ष संसूचित हुई एवं विधि संकाय को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदनानुसार 'विधि अध्ययन संकाय' (Faculty of Legal Studies) नामित किए जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
अन्य बिन्दु-3	फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2023 के क्रम में अंकित कमियों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पी0सी0आई0 को निवेदन (Appeal) कर दिया गया है। अतः फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) से भेषजी संकाय (Faculty of Pharmacy) के अन्तर्गत B.Pharm एवं D.Pharm पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में परिषद् द्वारा अग्रेतर कार्यवाहियों पर सहमति प्रदान की गयी।
अन्य बिन्दु-4	परिषद् द्वारा पेटेंट कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त शिक्षकों को सूचित करने के निर्देश दिये गये कि पेटेंट कराते समय विश्वविद्यालय को Applicant के रूप में आवश्यक रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यापरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

Smisha
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सदस्य सचिव

[Signature]
(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष।